



Order Sheet [Contd]

Case No. 48A/143-3 of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
25-10-16	<p>वादिया मृत । वादिया के प्रस्तावित वारिसान रज्जाक खां द्वारा श्री पी०के०वर्मा अधिवक्ता ।</p> <p>प्रतिवादी कं० 1 लगायत 5 द्वारा श्री एन०पी०कांकर अधिवक्ता</p> <p>प्रतिवादी कं०6 पूर्व से एक पक्षीय ।</p> <p>प्रकरण में वादिया के प्रस्तावित वारिसान रज्जाक खां की ओर से पेश आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी०पी०सी० पर सुना गया ।</p> <p>उपरोक्त आवेदन के माध्यम से निवेदन किया गया है कि प्रकरण की वादिया हसीना वानो पत्नी स्व० श्री हमीद खां निवासी ग्राम आलमपुर तहसील लहार जिला मिण्ड का दिनांक 14-8-14 को मृत्यु हो गयी है । वादिया द्वारा अपने जीवन काल में रज्जाक खां पुत्र सफी मोहम्मद उर्फ सुप्पे का जी आयु 25 निवासी दबोह तहसील लहारजिला मिण्ड को अपना वसीयती वारिस नियुक्त किया गया था । रज्जाक खां मृतिका वादिया हसीना वानो का वैध वारिस है । हसीना वानो के स्थान पर मृतक के उत्तराधिकारी के रूप में रज्जाक खां पुत्र सफी मोहम्मद खां निवासी दबोह परगना लहार जिला मिण्ड का नाम वादिया हसीना वानो का नाम निरस्त करते हुये अंकित किये जाने का निवेदन किया गया है ।</p> <p>प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन का जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि वादिया की मृत्यु दिनांक 14-8-14 को होने के तथ्य को स्वीकार करते हुये शेष तथ्यों को अस्वीकार किया है । वादिया ने दिनांक 29-7-14 को रज्जाक खां पुत्र सफी मोहम्मद के हक में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की है । हसीना वेगम मानसिक एवं शारीरिक रूप से कथित दिनांक को वसीयत करने के लिये असक्षम व स्वस्थ नहीं थी और न उसे वादग्रस्त भूमि की वसीयत करने का अधिकार ही था और न उसने वसीयत की है । प्रतिवादिया सश्रम वादिया की सगी बहिन होकर वारिस है और वैधानिक उत्तराधिकारी है । वादिया द्वारा वसीयत न करने के कारण वादिया के स्थान पर रज्जाक खां को वादी नहीं बनाया जा सकता है । ऐसी दशा में उपरोक्त आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है ।</p>	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>वर्तमान आवेदनपत्र जो कि प्रकरण में वादिया की मृत्यु होने के कारण उसके बारिसानों को रिकार्ड में लिये जाने का निवेदन किया गया है । यद्यपि आवेदनपत्र में आदेश 22 नियम 4 सी०पी०सी० लेख किया गया जबकि इस संबंध में प्रावधान आदेश 22 नियम 3 सी०पी०सी० के तहत दिया गया है । मात्र इस आधार पर कि धारा वैधानिक प्रावधान का उल्लेख गलत है आवेदनपत्र निरस्त नहीं किया जा सकता ।</p> <p>प्रकरण में एक मात्र वादिया हसीना बानो की मृत्यु दिनांक 14-8-14 को होनी बतायी गयी है और उसके बारिस के रूप में जो कि बसियत नामे के आधार पर उसके बारिस होना बताते हुये आवेदक रज्जाक खां के द्वारा वर्तमान आवेदनपत्र दिनांक 12-11-14 को पेश किया गया है । वसीयत नामे के आधार पर बारिस होने के संबंध में रज्जाक खां के द्वारा जो आवेदनपत्र पेश किया गया है इस संबंध में बसीयत नामे की फोटो कोपी उसके द्वारा पेश की गयी है और मुख्य परीक्षण के रूप में स्वयं अपना एवं शिरोमणि सिंह एवं रियाज मंसूरी का शपथपत्र पेश किया गया है । किन्तु इस संबंध में जांच के दौरान कार्यवाही उक्त आवेदक एवं अन्य साक्षी प्रतिपरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुये और न ही मूल बसियतनामा कोई पेश हुआ है । ऐसी दशा में उक्त आवेदक रियाज खां को बसियत नामा के आधार पर मृतिका वादिया हसीना बानो का बारिस के रूप में नहीं माना जा सकता ।</p> <p>इस प्रकार जबकि आवेदक रज्जाक खां मृतक वादिया का बारिस होना नहीं पाया जाता । मृतक वादिया के अन्य कोई बारिस हों इस संबंध में भी कोई आवेदनपत्र में पेश नहीं किया गया है । जबकि वादिया की मृत्यु दो वर्ष से भी अधिक समय पूर्व हो चुकी है । वादिया हसीना बानो प्रकरण की एक मात्र वादिया है । ऐसी दशा में जबकि एक मात्र वादिया की मृत्यु हो चुकी है और उसके कोई बारिस विधिक समयावधि में रिकार्ड में नहीं आये हैं । वादिया के दावे का उपशमन हो जाता है ।</p> <p>वर्तमान प्रकरण की कार्यवाही उपशमन होने के कारण समाप्त की जाती है ।</p> <p>परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;">   (डी. सी. थपलियाल) प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला मण्ड (म.प्र.) </p>	